

**भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

संख्या: 455/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/टिहरी गढ़वाल/2018-19

दिनांक: 10 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु विज्ञापन संख्या 201/ई-निविदा सह ई-नीलामी/ विज्ञापन/भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 31 मई, 2018 के द्वारा जनपद टिहरी के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम अलमस, क्षेत्रफल 0.260 हैक्टेयर पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी तथा ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 015_Tehri_Almas_Dhanolti_0.260ha/ई0निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 02 जून, 2018 वेबसाईट पर अपलोड किया गया।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 25.06.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 5720 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 2860 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 02.07.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 25.06.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 04 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 30.06.2018 को घोषित किया गया। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :-

तालिका- 1

क्र० सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1	श्री राजेश प्रसाद	44293 M180612172648943	5,720 टन
2	श्री देवी सिंह चौहान	44305 M180614135504937	5,720 टन
3	श्री जगमोहन सिंह चौहान	44313 M180614135847403	5,720 टन
4	श्री दयाल सिंह	44329 M180613160224600	5,720 टन

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम अलमस, क्षेत्रफल 0.260 हैक्टेयर हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 5,720 टन प्राप्त हुई।

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम अलमस, क्षेत्रफल 0.260 हैक्टेयर हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 5,720 x 35.00 = **रु० 2,00,200.00** (रु० दो लाख दो सौ मात्र मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 294/ई0निवि0सह0ई0नीला0/परिणाम/टि0ग0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 05 जुलाई, 2018 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम अलमस, क्षेत्रफल 0.260 हैक्टेयर हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) **रु० 2,00,200.00** (रु० दो लाख दो सौ मात्र मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 015_Tehri_Almas_Dhanolti_0.260ha/ई0निवि0 सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 06 जुलाई, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 16.07.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये हैं।

6- उपरोक्तानुसार तालिका में वर्णित सभी 04 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 329/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 जुलाई, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2018 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क्र० सं०	बिडर मास्कड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू०
1.	20181411113618	24 जुलाई, 2018 प्रातः 10:19 बजे	231231.00
2.	20181411113621	24 जुलाई, 2018 अपराह्न 03:16 बजे	1535534.00
3.	20181411113586	24 जुलाई, 2018 अपराह्न 03:20 बजे	1635634.00
4.	20181411113623	24 जुलाई, 2018 प्रातः 10:17 बजे	228228.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 04 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू० 16,35,634.00 (रू० सोलह लाख पैंतीस हजार छः सौ चौतीस मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की मास्कड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 387/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 27 जुलाई, 2018 के द्वारा की गई :-

क्र० सं०	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर मास्कड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं०)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू०	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181411113586/ Rajesh Prasad (M180612172648943)	24 जुलाई, 2018 अपराह्न 03:20 बजे	1635634.00	H1
2	20181411113621/ Devi Singh Chauhan (M180614135504937)	24 जुलाई, 2018 अपराह्न 03:16 बजे	1535534.00	H2
3	20181411113618/ Dayal Singh (M180613160224600)	24 जुलाई, 2018 प्रातः 10:19 बजे	231231.00	H3
4	20181411113623/ Jagmohan singh Chauhan (M180614135847403)	24 जुलाई, 2018 प्रातः 10:17 बजे	228228.00	H4

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 387/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 27 जुलाई, 2018 के द्वारा ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4 घोषित किया गया।

09- कार्यालय ज्ञाप संख्या 387/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0 /2017-18, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा श्री राजेश प्रसाद (M180612172648943) को जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्डी के ग्राम अलमस, क्षेत्रफल 0.260 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र से कुल 5720 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 16,35,634.00 (रू0 सोलह लाख पैंतीस हजार छः सौ चौतीस मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए को सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात् रू0 1,63,563.00 (रू0 एक लाख तिरेसठ हजार पांच सौ तिरेसठ मात्र) एवं नियम- 28 क (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि रू0 1,63,563.00 (रू0 एक लाख तिरेसठ हजार पांच सौ तिरेसठ मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराये, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजेश प्रसाद द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 387/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0 /2017-18, दिनांक 27 जुलाई, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु बोली गई उच्चतम बोली का आंकलन करने के उपरान्त उक्त लॉट में कार्य करने हेतु असमर्थता जताई गई है। उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजेश प्रसाद (M180612172648943) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28क(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया करते हुए उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक, थत्यूड़, जनपद टिहरी गढ़वाल-एफ0डी0आर0 सं0-37768032221, दिनांक 22.06.2018 रू0 50,050/- (रूपये पचास हजार पचास मात्र मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28 क (2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री देवी सिंह चौहान (M180614135504937) को "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा किये जाने का अवसर प्रदान किया गया।

10- कार्यालय ज्ञाप संख्या 410/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/टिहरी/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2018 के द्वारा श्री देवी सिंह चौहान (M180614135504937) को उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 1535534.00 (रू0 पन्द्रह लाख पैंतीस हजार पाँच सौ चौतीस मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H2 घोषित करते हुए सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि रू0 1,53,553.40 अर्थात् 1,53,553.00 (रू0 एक लाख तिरपन हजार पाँच सौ तिरपन मात्र) एवं नियम- 28 क (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक रू0 1,53,553.40 अर्थात् 1,53,553.00 (रू0 एक लाख तिरपन हजार पाँच सौ तिरपन मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराये, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री देवी सिंह चौहान द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 410/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/टिहरी/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा उक्त लॉट में कार्य करने हेतु असमर्थता जताई गई है। उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री देवी सिंह चौहान (M180614135504937) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28क(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर

असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी पंजाब नेशनल बैंक, डी0डी0 संख्या 820794, दिनांक 22.06.2018, रू0 50,050/- (रूपये पच्चास हजार पच्चास) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उपरोक्त तालिका के क्रमांक-1 के बोलीदाता H1 श्री राजेश प्रसाद की बोली धनराशि रू0 16,35,634.00 (रू0 सोलह लाख पैतीस हजार छः सौ चौतीस मात्र) एवं H3 श्री दयाल सिंह की बोली धनराशि रू0 2,31,231.00 (रू0 दो लाख इकतीस हजार दो सौ इकतीस मात्र) है। उक्त बोलीदाताओं के बीच कुल रू0 14,04,403.00 (रू0 चौदह लाख चार हजार चार सौ तीन मात्र) का अन्तर है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 28(क)(2) के अनुसार उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 29(क)(24) के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस शासनादेश में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो, ऐसे प्रकरणों पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का निर्णय अन्तिम होगा एवं सर्वपक्षों का मान्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार H1 व H2 को उपखनिज क्षेत्र आवंटित किये जाने का अवसर प्रदान करने पर उनके द्वारा वांछित कार्यवाही न किये जाने तथा व H1 व H3 की बोली धनराशि में रू0 14,04,403.00 (रू0 चौदह लाख चार हजार चार सौ तीन मात्र) का अत्यधिक अन्तर होने के कारण उक्त उपखनिज लॉट की पूर्व ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया को राजस्व हित में निरस्त[^] जाता है तथा उक्त लॉट हेतु पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र विज्ञापित की जायेगी।

किया

भवदीय
11/07/18
(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

**भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

संख्या: 456 / ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/टिहरी गढ़वाल/2018-19

दिनांक: 10 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु विज्ञापन संख्या 201/ई-निविदा सह ई-नीलामी/ विज्ञापन/भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 31 मई, 2018 के द्वारा जनपद टिहरी के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम डोलसी, क्षेत्रफल 0.500 हैक्टेयर पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी तथा ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 017_Tehri_Dolsi_Dhanolti_ 0.500ha /ई0निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 02 जून, 2018 वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 25.06.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 11000 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 5500 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 02.07.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 25.06.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 04 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 30.06.2018 को घोषित किया गया, जिसमें श्री दयाल सिंह की हैसियत संलग्न न होने के कारण उनकी निविदा को निरस्त किया गया है। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :-

तालिका- 1

क्र0 सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री राजेश प्रसाद	44294 M180612172648943	11,000 टन
2.	श्री देवी सिंह चौहान	44304 M180614135504937	11,000 टन
3.	श्री जगमोहन सिंह रावत	44311 M180614135847403	11,000 टन

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम डोलसी, क्षेत्रफल 0.500 हैक्टेयर हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 11,000 टन प्राप्त हुई।

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम डोलसी, क्षेत्रफल 0.500 हैक्टेयर हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 11,000 x 35.00 = **रु0 3,85,000.00** (रु0 तीन लाख पिचासी हजार मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 296/ई0निवि0सह0ई0नीला0/परिणाम/टि0ग0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 05 जुलाई, 2018 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम डोलसी, क्षेत्रफल 0.500 हैक्टेयर हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) **रु0 3,85,000.00** (रु0 तीन लाख पिचासी हजार मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 017_Tehri_Dolsi_Dhanolti_0.500ha/ई0निवि0 सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 06 जुलाई, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 16.07.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये हैं।

6- उपरोक्तानुसार तालिका में वर्णित सभी 03 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 331/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 जुलाई, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2018 को अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

तालिका- 2

क्र0 सं0	बिडर मास्कड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0
1.	20181410613621	20 जुलाई, 2018 सायं 05:08 बजे	2918300.00
2.	20181410613586	20 जुलाई, 2018 सायं 05:12 बजे	2920225.00
3.	20181410613623	20 जुलाई, 2018 अपराह्न 02:27 बजे	521675.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 03 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 29,20,225.00 (रू0 उनतीस लाख बीस हजार दो सौ पच्चीस मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की मास्कड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 353/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 26 जुलाई, 2018 के द्वारा की गई :-

तालिका- 3

क्र0 सं0	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर मास्कड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं0)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181410613586/ Rajesh Prasad (M180612172648943)	20 जुलाई, 2018 सायं 05:12 बजे	2920225.00	H1
2	20181410613621/ Devi singh Chauhan (M180614135504937)	20 जुलाई, 2018 सायं 05:08 बजे	2918300.00	H2
3	20181410613623/ Jagmohan singh Chauhan (M180614135847403)	20 जुलाई, 2018 अपराह्न 02:27 बजे	521675.00	H3

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 353/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 26 जुलाई, 2018 के द्वारा ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज

(परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4 घोषित किया गया।

09— कार्यालय ज्ञाप संख्या 353/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0 /2017-18, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा श्री राजेश प्रसाद (M180612172648943) को जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम डोलसी, क्षेत्रफल 0.500 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र से कुल 11000 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 29,20,225.00 (रू0 उनतीस लाख बीस हजार दो सौ पच्चीस मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात् रू0 2,92,023.00 (रू0 दो लाख बयानवें हजार तेईस मात्र) एवं नियम- 28 क (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् रू0 2,92,023.00 (रू0 दो लाख बयानवें हजार तेईस मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालन की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराये, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजेश प्रसाद द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 353/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 26 जुलाई, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु बोली गई उच्चतम बोली का आंकलन करने के उपरान्त उक्त लॉट में कार्य करने हेतु असमर्थता जताई गई है। उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजेश प्रसाद (M180612172648943) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28क(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक, थत्यूड, जनपद टिहरी गढ़वाल -एफ0डी0आर0 सं0-37768027685, दिनांक 22.06.2018 रू0 96,250/- (रूपये छियानवें हजार दो सौ पचास मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28 क (2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री देवी सिंह चौहान (M180614135504937) को "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा किये जाने का अवसर प्रदान किया गया।

10— कार्यालय ज्ञाप संख्या 409/ई-निविदासह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/टिहरी/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2018 के द्वारा श्री देवी सिंह चौहान (M180614135504937) को उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 29,18,300.00 (रू0 उनतीस लाख अठारह हजार तीन सौ मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H2 घोषित करते हुए सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात् रू0 2,91,830.00 (रू0 दो लाख इकानबे हजार आठ सौ तीस मात्र) एवं नियम- 28 क (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् रू0 2,91,830.00 (रू0 दो लाख इकानबे हजार आठ सौ तीस मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालन की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराये, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री देवी सिंह चौहान द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 409/ई-निविदासह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/टिहरी/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा उक्त लॉट में कार्य करने हेतु असमर्थता जताई गई है। उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री देवी सिंह चौहान (M180614135504937) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28क(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए जमा अर्नेस्ट मनी पंजाब नेशनल बैंक, लंदौर बाजार, मसूरी, देहरादून डी0डी0 संख्या 820806, दिनांक 22.06.2018, रू0 96,250/- (रूपये छियानबे हजार दो सौ पचास) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उपरोक्त तालिका-3 के क्रमांक-1 के बोलीदाता H1 श्री राजेश प्रसाद की बोली धनराशि रू0 29,20,225.00 (रू0 उनतीस लाख बीस हजार दो सौ पच्चीस मात्र) एवं H3 श्री जगमोहन सिंह की बोली धनराशि रू0 5,21,675.00 (रू0 पांच लाख इक्कीस हजार छः सौ पिचहत्तर मात्र) है। उक्त बोलीदाताओं के बीच कुल रू0 23,98,550.00 (रू0 तेईस लाख अट्ठानवें हजार पांच सौ पचास मात्र) का अन्तर है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 28(क)(2) के अनुसार उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 29(क)(24) के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस शासनादेश में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो, ऐसे प्रकरणों पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का निर्णय अन्तिम होगा एवं सर्वपक्षों का मान्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार H1 व H2 को उपखनिज क्षेत्र आवंटित किये जाने का अवसर प्रदान करने पर उनके द्वारा वांछित कार्यवाही न किये जाने तथा व H1 व H3 की बोली धनराशि में रू0 23,98,550.00 (रू0 तेईस लाख अट्ठानवें हजार पांच सौ पचास मात्र) का अत्यधिक अन्तर होने के कारण उक्त उपखनिज लॉट की पूर्व ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया को राजस्व हित में निरस्त जाता है तथा उक्त लॉट हेतु पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र विज्ञापित की जायेगी।

किया

भवदीय

10/09/18
(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या: 451 / ई-निविदासहई-नीला0/भू0खनि0ई0/टिहरी गढ़वाल/2018-19
कार्यालय ज्ञाप

दिनांक: 10 सितम्बर, 2018

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु विज्ञापन संख्या 201/ई-निविदा सह ई-नीलामी/ विज्ञापन/ भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 31 मई, 2018 के द्वारा जनपद टिहरी के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम धनाणगांव, क्षेत्रफल 0.531 हैक्टेयर पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी तथा ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 10 Tehri Dhnangaon Dhanolti 0.531ha/ ई0निविदासहई0नीला0/भू0खनि0ई0 /2017-18, दिनांक 02 जून, 2018 वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 25.06.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 9240 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 4620 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 02.07.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 25.06.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 04 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 30.06.2018 को घोषित किया गया। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :-

तालिका- 1

क्र0 सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1	श्री चन्द्रबीर सिंह पुण्डीर	44245 M180612172946990	9,240 टन
2	श्री राजेश प्रसाद	44251 M180612172648943	9,240 टन
3	श्री सुन्दर सिंह	44255 M180614165330910	9,240 टन
4	श्री दयाल सिंह	44322 M180613160224600	9,240 टन

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम धनाणगांव, क्षेत्रफल 0.531 हैक्टेयर हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 9,240 टन प्राप्त हुई।

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम धनाणगांव, क्षेत्रफल 0.531 हैक्टेयर हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 9,240 x 35.00 = **रु0 3,23,400.00** (रु0 तीन लाख तेईस हजार चार सौ मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 290/ई0निविदासहई0नीला0/परिणाम/टि0ग0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 05 जुलाई, 2018 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम धनाणगांव, क्षेत्रफल 0.531 हैक्टेयर हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) **रु0 3,23,400.00** (रु0 तीन लाख तेईस हजार चार सौ मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 10 Tehri Dhnangaon Dhanolti 0.531ha / ई0निविदासहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 06 जुलाई, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 16.07.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये हैं।

6- उपरोक्तानुसार तालिका में वर्णित सभी 04 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 325/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 जुलाई, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2018 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क्र० सं०	बिडर मास्कड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू०
1.	20181410513618	20 जुलाई, 2018 अपराह्न 02:09 बजे	2229843.00
2.	20181410513603	20 जुलाई, 2018 अपराह्न 02:10 बजे	2231460.00
3.	20181410513586	20 जुलाई, 2018 अपराह्न 12:26 बजे	609609.00
4.	20181410513602	20 जुलाई, 2018 अपराह्न 01:42 बजे	1595979.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 04 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू० 22,31,460.00 (रू० बाईस लाख इकतीस हजार चार सौ साठ मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की मास्कड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 352/ई-निविदा सह ई-नीलामी/ भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 26 जुलाई, 2018 के द्वारा की गई :-

क्र० सं०	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर मास्कड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं०)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू०	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181410513603/ Chandraveer Singh Pundir (M180612172946990)	20 जुलाई, 2018 अपराह्न 02:10 बजे	2231460.00	H1
2	20181410513618/ Dayal Singh (M180613160224600)	20 जुलाई, 2018 अपराह्न 02:09 बजे	2229843.00	H2
3	20181410513602/Sunder Singh (M180614165330910)	20 जुलाई, 2018 अपराह्न 01:42 बजे	1595979.00	H3
4	20181410513586/Rajesh Prasad (M180612172648943)	20 जुलाई, 2018 अपराह्न 12:26 बजे	609609.00	H4

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 352/ई-निविदा सह ई-नीलामी/ भूखनि0ई0 /2017-18, दिनांक 26 जुलाई, 2018 के द्वारा ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4 घोषित किया गया।

09- कार्यालय ज्ञाप संख्या 352/ई-निविदा सह ई-नीलामी/ भूखनि0ई0 /2017-18, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा श्री चन्द्रबीर सिंह पुण्डरी (M180612172946990) को जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्डी के ग्राम धनाणगांव, क्षेत्रफल 0.531 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र से कुल 9240 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 22,31,460.00 (रू0 बाईस लाख इकतीस हजार चार सौ साठ मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए को सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात् रू0 2,23,146.00 (रू0 दो लाख तेइस हजार एक सौ छियालीस मात्र) एवं नियम- 28 क (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् रू0 2,23,146.00 (रू0 दो लाख तेइस हजार एक सौ छियालीस मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालन की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराये, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री चन्द्रबीर सिंह पुण्डरी द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 352/ई-निविदा सह ई-नीलामी/ भूखनि0ई0 /2017-18, दिनांक 26 जुलाई, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में ज्यादा बोली लगाने के कारण उक्त लॉट में कार्य करने में असमर्थ है तथा स्वेच्छा से उक्त लॉट को छोड़ रहे हैं। उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री चन्द्रबीर सिंह पुण्डरी (M180612172946990) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28 क(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाना तथा उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक, थत्यूड़, जनपद टिहरी गढ़वाल -एफ0डी0आर0 सं0-37765765693, दिनांक 21.06.2018 रू0 80,850/- (रूपये अस्सी हजार आठ सौ पचास मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28 क (2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री दयाल सिंह (M180613160224600) को "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा किये जाने का अवसर प्रदान किया गया।

10- कार्यालय ज्ञाप संख्या 411/ई-निविदासह0ई-नीला0/भूखनि0ई0/टिहरी/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2018 के द्वारा श्री दयाल सिंह (M180613160224600) को उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 22,29,843.00 (रू0 बाईस लाख उनतीस हजार आठ सौ तैतालीस मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H2 घोषित करते हुए सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि रू0 2,22,984.00 (रू0 दो लाख बाईस हजार नौ सौ चौरास्सी मात्र) एवं नियम- 28 क (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक रू0 2,22,984.00 (रू0 दो लाख बाईस हजार नौ सौ चौरास्सी मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालन की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराये, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री दयाल सिंह द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 411/ई-निविदासह0ई-नीला0/भूखनि0ई0/टिहरी/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा उक्त लॉट में कार्य करने हेतु असमर्थता जताई गई है। उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री दयाल सिंह (M180613160224600) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1)

एवं नियम- 28क(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित कर तथा उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी पंजाब नेशनल बैंक, लंदौर बाजार, मसूरी, देहरादून डी0डी0 संख्या 820788, दिनांक 22.06.2018, रू0 80,850/- (रूपये अस्सी हजार आठ सौ पच्चास) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उपरोक्त तालिका के क्रमांक-1 के बोलीदाता H1 श्री चन्द्रवीर सिंह पुण्डरीर की बोली धनराशि रू0 22,31,460.00 है (रू0 बाईस लाख इकतीस हजार चार सौ साठ मात्र) एवं H3 श्री सुन्दर सिंह की बोली धनराशि रू0 15,95,979.00 (रू0 पन्द्रह लाख पचानवें हजार नौ सौ उन्नासी मात्र) है। उक्त बोलीदाताओं के बीच कुल रू0 6,35,481.00 (रू0 छः लाख पैतीस हजार चार सौ इक्कासी मात्र) का अन्तर है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 28क)(2) के अनुसार उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 29क)(24) के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस शासनादेश में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो, ऐसे प्रकरणों पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का निर्णय अन्तिम होगा एवं सर्वपक्षों का मान्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार H1 व H2 को उपखनिज क्षेत्र आवंटित किये जाने का अवसर प्रदान करने पर उनके द्वारा वांछित कार्यवाही न किये जाने तथा व H1 व H3 की बोली धनराशि में रू0 6,35,481.00 (रू0 छः लाख पैतीस हजार चार सौ इक्कासी मात्र) का अत्यधिक अन्तर होने के कारण उक्त उपखनिज लॉट की पूर्व ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया को राजस्व हित में निरस्त ^{कि}जाता है तथा उक्त लॉट हेतु पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र विज्ञापित की जायेगी।

कि

भवदीय


(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

**भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

संख्या: 454/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/टिहरी गढ़वाल/2018-19

दिनांक: 10 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु विज्ञापन संख्या 201/ई-निविदा सह ई-नीलामी/ विज्ञापन/ भू0खनि0ई0/ 2018-19, दिनांक 31 मई, 2018 के द्वारा जनपद टिहरी के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम डोलसी, क्षेत्रफल 0.853 हैक्टेयर पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी तथा ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 016_Tehri_Dolsi_Dhanolti_0.853ha/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 02 जून, 2018 वेबसाईट पर अपलोड किया गया।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 25.06.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 28050 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 14025 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 02.07.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 25.06.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 04 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 30.06.2018 को घोषित किया गया। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :-

तालिका- 1

क्र0 सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1	श्री चन्द्रबीर सिंह पुण्डीर	44242 M180612172946990	28,050 टन
2	श्री राजेश प्रसाद	44250 M180612172648943	28,050 टन
3	श्री सुन्दर सिंह	44258 M180614165330910	28,050 टन
4	श्री दयाल सिंह	44324 M180613160224600	28,050 टन

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम डोलसी, क्षेत्रफल 0.853 हैक्टेयर हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 28,050 टन प्राप्त हुई।

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम डोलसी, क्षेत्रफल 0.853 हैक्टेयर हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 28,050 x 35.00 = **रु0 9,81,750.00** (रु0 नौ लाख इक्कासी हजार सात सौ पचास मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 295/ई0निवि0सहई0नीला0/परिणाम/टि0ग0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 05 जुलाई, 2018 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम डोलसी, क्षेत्रफल 0.853 हैक्टेयर हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) **रु0 9,81,750.00** (रु0 नौ लाख इक्कासी हजार सात सौ पचास मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 016_Tehri_Dolsi_Dhanolti_0.853ha / ई0निविदासहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 06 जुलाई, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 16.07.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये है।

6- उपरोक्तानुसार तालिका में वर्णित सभी 04 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 330/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 जुलाई, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2018 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क्र० सं०	बिडर मास्कड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू०
1.	20181410313618	19 जुलाई, 2018 अपराह्न 03:19 बजे	5551098.00
2.	20181410313603	19 जुलाई, 2018 प्रातः 11:01 बजे	1423470.00
3.	20181410313586	19 जुलाई, 2018 अपराह्न 03:22 बजे	5649258.00
4.	20181410313602	19 जुलाई, 2018 अपराह्न 02:20 बजे	2576850.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 04 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू० 56,49,258.00 (रू० छप्पन लाख उनचास हजार दो सौ अठावन मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की मास्कड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 348/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 24 जुलाई, 2018 के द्वारा की गई :-

क्र० सं०	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर मास्कड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं०)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू०	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181410313586/ Rajesh Prasad (M180612172648943)	19 जुलाई, 2018 अपराह्न 03:22 बजे	5649258.00	H1
2	20181410313618/ Dayal Singh (M180613160224600)	19 जुलाई, 2018 अपराह्न 03:19 बजे	5551098.00	H2
3	20181410313602/ Sunder Singh (M180614165330910)	19 जुलाई, 2018 अपराह्न 02:20 बजे	2576850.00	H3
4	20181410313603/ Chandraveer Singh Pundir (M180612172946990)	19 जुलाई, 2018 प्रातः 11:01 बजे	1423470.00	H4

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 348/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0 /2017-18, दिनांक 24 जुलाई, 2018 के द्वारा ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4 घोषित किया गया।

09- कार्यालय ज्ञाप संख्या 348/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0 /2017-18, दिनांक 24 जुलाई, 2018 द्वारा श्री राजेश प्रसाद (M180612172648943) को जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्डी के ग्राम डोलसी, क्षेत्रफल 0.853 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र से कुल 28050 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 56,49,258.00 (रू0 छप्पन लाख उनचास हजार दो सौ अट्ठावन मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए को सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात् रू0 5,64,926.00 (रू0 पांच लाख चौसठ हजार नौ सौ छब्बीस मात्र) एवं नियम- 28 क (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् रू0 5,64,926.00 (रू0 पांच लाख चौसठ हजार नौ सौ छब्बीस मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालन की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराये, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजेश प्रसाद द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 348/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0 /2017-18, दिनांक 24 जुलाई, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा उक्त लॉट में कार्य करने हेतु असमर्थता जताई गई है। उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजेश प्रसाद (M180612172648943) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28क(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक, थत्पूड़, जनपद टिहरी गढ़वाल -एफ0डी0आर0 सं0-37765730182, दिनांक 21.06.2018 रू0 2,45,488/- (रूपये दो लाख पैंतालीस हजार चार सौ अठासी मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28 क (2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री दयाल सिंह (M180613160224600) को "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा किये जाने का अवसर प्रदान किया गया।

10- कार्यालय ज्ञाप संख्या 412/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/टिहरी/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2018 के द्वारा श्री दयाल सिंह (M180613160224600) को उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 55,51,098.00 (रू0 पचपन लाख इकावन हजार अठानबे मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H2 घोषित करते हुए सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात् रू0 5,55,109.80 अर्थात् 5,55,110.00 (रू0 पाँच लाख पचपन हजार एक सौ दस मात्र) एवं नियम- 28 क (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् रू0 5,55,109.80 अर्थात् 5,55,110.00 (रू0 पाँच लाख पचपन हजार एक सौ दस मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालन की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराये, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री दयाल सिंह द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 412/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/टिहरी/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु बोली गई उच्चतम बोली का आंकलन करने के उपरान्त उक्त लॉट में कार्य करने हेतु असमर्थता जताई गई है। उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री दयाल सिंह (M180613160224600) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम

(1) एवं नियम- 28क(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी पंजाब नेशनल बैंक, लंदौर बजार, मसूरी (देहरादून) डी0डी0 संख्या 820805, दिनांक 22.06.2018, रू0 2,45,438/- (रूपये दो लाख पैंतालीस हजार चार सौ अड़तीस) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उपरोक्त तालिका के क्रमांक-1 के बोलीदाता H1 श्री राजेश प्रसाद की बोली धनराशि रू0 56,49,258.00 (रू0 छप्पन लाख उनचास हजार दो सौ अटठावन मात्र) एवं H3 श्री सुन्दर सिंह की बोली धनराशि रू0 25,76,850.00 (रू0 पच्चीस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ पचास मात्र) है। उक्त बोलीदाताओं के बीच कुल रू0 30,72,408.00 (रू0 तीस लाख बहत्तर हजार चार सौ आठ मात्र) का अन्तर है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 28(क)(2) के अनुसार उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 29(क)(24) के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस शासनादेश में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो, ऐसे प्रकरणों पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का निर्णय अन्तिम होगा एवं सर्वपक्षों का मान्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार H1 व H2 को उपखनिज क्षेत्र आवंटित किये जाने का अवसर प्रदान करने पर उनके द्वारा वांछित कार्यवाही न किये जाने तथा व H1 व H3 की बोली धनराशि में रू0 30,72,408.00 (रू0 तीस लाख बहत्तर हजार चार सौ आठ मात्र) का अत्यधिक अन्तर होने के कारण उक्त उपखनिज लॉट की पूर्व ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया को राजस्व हित में निरस्त जाता है तथा उक्त लॉट हेतु पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र विज्ञापित की जायेगी।

किष्क

भवदीय
22/06/18
(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या: 453/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/टिहरी गढ़वाल/2018-19

दिनांक: 10 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु विज्ञापन संख्या 201/ई-निविदा सह ई-नीलामी/ विज्ञापन/ भू0खनि0ई0/ 2018-19, दिनांक 31 मई, 2018 के द्वारा जनपद टिहरी के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम मुंगलोडी, क्षेत्रफल 0.900 हैक्टेयर पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी तथा ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 013_Tehri_Munglodi_Dhanolti_0.900ha/ई0निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 02 जून, 2018 वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 25.06.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 19800 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 9900 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 02.07.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 25.06.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 04 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 30.06.2018 को घोषित किया गया। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :-

तालिका- 1

क्र० सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1	श्री चन्द्रबीर सिंह पुण्डीर	44247 M180612172946990	19,800 टन
2	श्री राजेश प्रसाद	44252 M180612172648943	19,800 टन
3	श्री सुन्दर सिंह	44256 M180614165330910	19,800 टन
4	श्री दयाल सिंह	44323 M180613160224600	19,800 टन

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम मुंगलोडी, क्षेत्रफल 0.900 हैक्टेयर हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 19,800 टन प्राप्त हुई।

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम मुंगलोडी, क्षेत्रफल 0.900 हैक्टेयर हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 19,800 x 35.00 = ₹ 6,93,000.00 (₹ 69 लाख तिरानवें हजार मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 292/ई0निवि0सह0ई0नीला0/परिणाम/टि0ग0/भू0खनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 05 जुलाई, 2018 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्ती के ग्राम मुंगलोडी, क्षेत्रफल 0.900 हैक्टेयर हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) ₹ 6,93,000.00 (₹ 69 लाख तिरानवें हजार मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 013_Tehri_Munglodi_Dhanolti_0.900ha /ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 06 जुलाई, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 16.07.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये है।

6- उपरोक्तानुसार तालिका में वर्णित सभी 04 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 327/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 जुलाई, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2018 को अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए है :-

क्र० सं०	बिडर मास्कड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू०
1.	20181410213618	18 जुलाई, 2018 रात्रि 08:38 बजे	3856545.00
2.	20181410213603	18 जुलाई, 2018 रात्रि 08:40 बजे	3960495.00
3.	20181410213586	18 जुलाई, 2018 सायं 05:25 बजे	1465695.00
4.	20181410213602	18 जुलाई, 2018 सायं 04:03 बजे	987525.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 04 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू० 39,60,495.00 (रू० उनतालीस लाख साठ हजार चार सौ पचानवें मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की मास्कड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 347/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 24 जुलाई, 2018 के द्वारा की गई :-

क्र० सं०	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर मास्कड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं०)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू०	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181410213603/ Chandraveer Singh Pundir (M180612172946990)	18 जुलाई, 2018 रात्रि 08:40 बजे	3960495.00	H1
2	20181410213618/ Dayal Singh (M180613160224600)	18 जुलाई, 2018 रात्रि 08:38 बजे	3856545.00	H2
3	20181410213586/ Rajesh Prasad (M180612172648943)	18 जुलाई, 2018 सायं 05:25 बजे	1465695.00	H3
4	20181410213602/ Sunder Singh (M180614165330910)	18 जुलाई, 2018 सायं 04:03 बजे	987525.00	H4

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 347/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0 /2017-18, दिनांक 24 जुलाई, 2018 के द्वारा ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4 घोषित किया गया।

09- कार्यालय ज्ञाप संख्या 347/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 24 जुलाई, 2018 द्वारा श्री चन्द्रबीर सिंह पुण्डीर (M180612172946990) को जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्डी के ग्राम मुंगलोडी, क्षेत्रफल 0.900 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र से कुल 19800 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 39,60,495.00 (रू0 उनतालीस लाख साठ हजार चार सौ पचानवें मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए को सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात् रू0 3,96,050.00 (रू0 तीन लाख छियानवें हजार पचास मात्र) एवं नियम- 28 क (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् रू0 3,96,050.00 (रू0 तीन लाख छियानवें हजार पचास मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालन की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा करायें, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री चन्द्रबीर सिंह पुण्डीर द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 347/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0 /2017-18, दिनांक 24 जुलाई, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु बोली गई उच्चतम बोली का आंकलन किया गया तो उनके द्वारा बोली कई गुना ज्यादा बोली गई है जिस कारण कार्य करने हेतु उनके द्वारा असमर्थता जताई गई है। उक्त के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या 413/ई-निविदासह0ई-नीला0/भूखनि0ई0/टिहरी/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2018 के द्वारा नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री चन्द्रबीर सिंह पुण्डीर (M180612172946990) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28क(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया गया तथा उनके द्वारा जमा अर्नस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक, थत्त्यूड़, जनपद टिहरी गढ़वाल -एफ0डी0आर0 सं0-37765772087, दिनांक 21.06.2018 रू0 1,73,250/- (रूपये एक लाख तिहत्तर हजार दो सौ पचास मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जमा करते हुए नियमावली के नियम 28 क (2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री दयाल सिंह (M180613160224600) को "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा किये जाने का अवसर प्रदान किया गया।

10- कार्यालय ज्ञाप संख्या 413/ई-निविदासह0ई-नीला0/भूखनि0ई0/टिहरी/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2018 के द्वारा श्री दयाल सिंह (M180613160224600) को उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 38,56,545.00 (रू0 अड़तीस लाख छप्पन हजार पाँच सौ पैतालीस मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H2 घोषित करते हुए सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि रू0 3,85,654.50 अर्थात् 3,85,655.00 (रू0 तीन लाख पिचास्सी हजार छः सौ पचपन मात्र) एवं नियम- 28 क (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक रू0 3,85,654.50 अर्थात् 3,85,655.00 (रू0 तीन लाख पिचास्सी हजार छः सौ पचपन मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालन की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा करायें, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री दयाल सिंह द्वारा भी कार्यालय ज्ञाप संख्या 413/ई-निविदासह0ई-नीला0/भूखनि0ई0/टिहरी/2018-19, दिनांक 16 अगस्त, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र

के द्वारा उक्त लॉट में कार्य करने हेतु असमर्थता जताई गई है। उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री दयाल सिंह (M180613160224600) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28क(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करने तथा उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी पंजाब नेशनल बैंक, लंदौर बजार, मसूरी, देहरादून डी0डी0 संख्या 820798, दिनांक 22.06.2018, रू0 1,73,250/- (रूपये एक लाख तिहत्तर हजार दो सौ पच्चास) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उपरोक्त तालिका के क्रमांक-1 के बोलीदाता H1 श्री चन्द्रवीर सिंह पुण्डीर की बोली धनराशि रू0 39,60,495.00 है (रू0 उनतालीस लाख साठ हजार चार सौ पिचानवें मात्र) एवं H3 श्री राजेश प्रसाद की बोली धनराशि रू0 14,65,695.00 (रू0 चौदह लाख पैसठ हजार छः सौ पिचानवें मात्र) है। उक्त बोलीदाताओं के बीच कुल रू0 24,94,800.00 (रू0 चौबीस लाख चौरानवें हजार आठ सौ मात्र) का अन्तर है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 28क(2) के अनुसार उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन नियमावली, 2017 के नियम 29क(24) के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस शासनादेश में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो, ऐसे प्रकरणों पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का निर्णय अन्तिम होगा एवं सर्वपक्षों का मान्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार H1 व H2 को उपखनिज क्षेत्र आवंटित किये जाने का अवसर प्रदान करने पर उनके द्वारा वांछित कार्यवाही न किये जाने तथा व H1 व H3 की बोली धनराशि में 24,94,800.00 (रू0 चौबीस लाख चौरानवें हजार आठ सौ मात्र) का अत्यधिक अन्तर होने के कारण उक्त उपखनिज लॉट की पूर्व ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया को राजस्व हित में निरस्त ^{किया} जाता है तथा उक्त लॉट हेतु पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र विज्ञापित की जायेगी।

भवदीय

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक